इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली (ईसीएस)
पर
बहुधा किए जानेवाले प्रश्न

भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग
इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पाद प्रभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई

दूरभाष : ०२२-२२६४१६१० फैक्स : ०२२-२२६५९५६६
ईमेल :

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली (ईसीएस) पर
बहुधा किए जानेवाले प्रश्न

प्र.१. इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली (ईसीएस) क्या है ?

उत्तर : यह समाशोधन गृह की सेवा का उपयोग कर एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण की एक प्रणाली है। सामान्यत: इसका उपयोग एक खाते से अनेक खातों या अनेक खातों से एक खाते में अधिक अंतरणों के लिए किया जाता है। इसका उपयोग संस्थाओं द्वारा लाभांश, ब्याज,वेतन, पेंशन आदि के संवितरण जैसे भुगतान और टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी जैसी जनोपयोगी सेवाओंवाली कंपनियों को भुगतान करने या के प्रयोजनार्थ या गृह कर, जल कर या वित्तीय संस्थाओं/बैंकों के ऋण की किस्तों या व्यक्तियों के नियमित निवेशों के लिए किया जा सकता है।

प्र. २. ईसीएस के कितने प्रकार हैं ? वे एक दूसरे से किस प्रकार अलग हैं ?

उत्तर : ईसीएस दो प्रकार के हैं जिन्हें ईसीएस (जमा) और ईसीएस (नामे) कहा जाता है। ईसीएस (जमा) लाभांश, ब्याज या वेतन भुगतान जैसे कार्यों क के लिए किसी खाते में एक ही नामे डालकर अधिसंख्यक हिताधिकारियों को जमा प्रदान करता है। ईसीएस (नामे) का उपयोग उपभोक्ताओं/खातेदारों के कई खातों में नामे डालकर किसी विशेष संस्था के खाते में जमा करने हेतु किया जाता है।

ईसीएस (जमा)

प्र. ३ ईसीएस (जमा) लेनदेन कौन कर सकता है ?

उत्तर : कई हिताधिकारियों को अधिक या बारंबार भुगतान करनेवाली किसी संस्था (जिसे ईसीजी प्रयोक्ता कहा जाता है) द्वारा ईसीएस भुगतान की शुरुआत की जा सकती है। किसी अनोमोदित समाशोधन गृह में अपना पंजीकरण करवाने के बाद वे लेनदेन शुरु कर सकते हैं।

ईसीएस समाशोधन में शामिल होने के लिए ईसीएस प्रत्योक्ताओं को हिताधिकारी की सहमति तथा उसके खाते के ब्योरे भी लेने होंगे।

इस योजना के अंतर्गत ईसीएस प्रयोक्ता बैंक को प्रायोजक बैंक और ईसीएस हिताधिकारी खातेदार को गंतव्य खातादार कहा जाता है। गंतव्य खातेदार के बैंक या हिताधिकारी के बैंक को गंतव्य बैंक कहा जाता है।

नियमित या बारंबार भुगतान के हिताधिकारी भुगतान करनेवाली संस्था से भुगतान करने हेतु ईसीएस (जमा) प्रणाली का उपयोग करने का भी अनुरोध कर सकते हैं।

प्र. ४. ईसीएस जमा प्रणाली कैसे कार्य करती है ?

उत्तर : भुगतान करने की मंशा रखनेवाले ईसीएस प्रयोक्ताओं को किसी एक अनुमोदित समाशोधन गृह में निर्धारित फॉर्मेट में आंकडे.प्रस्तुत करने होंगे। अनुमोदित समाशोधन गृहों की सूची या ईसीएस सुविधा प्रदान करनेवाले केंद्रों की सूची पर उपलब्ध है।

अंतिम हिताधिकारियों के के खातों में राशि जमा करने हेतु समाशोधन गृह निश्चित दिन को प्रायोजक बैंक के खाते के माध्यम से ईसीएस प्रयोक्ता के खाते में नामे डालकर प्रापक बैंकों के खातों में राशि जमा करेगा।

प्र. ५. ईसीएस सुविधा किन-किन केंद्रों पर उपलब्ध है ?

उत्तर : इस समय ईसीएस सुविधा ६८ से अधिक केंद्रों पर उपलब्ध है और इसकी पूरी सूची भारिबैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

ईसीएस सुविधा लेने हेतु हिताधिकारियों को इन केंद्रों पर स्थित किसी बैंक में खाता रखना होगा।

प्र. ६. कोई हिताधिकारी ईसीएस (जमा) योजना में कैसे शामिल होगा ?

उत्तर : ईसीएस सुविधा लेने की अपनी सहमति देते हुए हिताधिकारी को एक अधिदेश देना होगा। उसे ईसीएस प्रयोक्ता को अपने बैंक की शाखा और खाते के ब्योरों की जानकारी भी देनी होगी। इस तरह दिए गए प्राधिकार को अधिदेश कहा जाता है।

प्र. ७. क्या हिताधिकारी द्वारा इस अधिदेश को बदलने की जरूरत होगी ?

उत्तर : हां। सूचना/ खाते के ब्योरों में परिवर्तन होने की अवस्था में उसे ईसीएस प्रयोक्ता को अधिसूचना देनी होगी कि वह परिवर्तन कर ले ताकि ईसीएस प्रयोक्ता से लगातार लाभ मिलना सुनिश्चित किया जा सके। यदि गंतव्य शाखा में खाते के ब्योरे मेल नहीं खाते तो वैसी अवस्था में गंतव्य शाखा जमा की गई राशि अपनी सेवा शाखा के माध्यम से समशोधन गृह को लौटा देगी।

प्र. ८. जमा होने के संबंध में हिताधिकारी को कौन सूचित करेगा ?

उत्तर : ईसीएस प्रयोक्ता का यह दायित्व होगा कि वह जमा किए जाने की प्रस्तावित तारीख, राशि और भुगतान के संबद्ध ब्योरे देते हुए हिताधिकारी को उसके खाते में किए जा रहे जमा के ब्योरे के संबंध में सूचित कर दे ताकि हिताधिकारी बैक द्वारा दिए गए खाते के विवरण/पासबुक से उसका मिलान कर सके।

प्र. ९. अंतिम हिताधिकारी के क्या फायदे हैं ?

उत्तर : वास्तविक कागजी लिखत जम करने हेतु अंतिम हिताधिकारी को बार-बार बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होती।

उसे लिखत के खोने और कपटपूर्ण भुनाई की आशंका नहीं होती।

कागजी लिखत की प्राप्ति के बद आगमोम की वसूली में विलंब नहीं होता।

प्र. १०. कर्पोरेट निकायों/संस्थाओं जैसे ईसीएस प्रयोक्ताओं को इस योजना से कैसे फायदा होता है ?

उत्तर : ईसीएस प्रयोक्ता को मुद्रण, प्रेषण और समाधान पर प्रशासनिक कार्य की बचत होती है।

डाक में लिखत के खोने की संभावना नहीं रहती।

कागजी लिखतों तक कपटपूर्ण तरीके से पहुंचने और उन्हें भुनाने में होनेवाले कपट की संभावन नहीं रहती।

भुगतान करने योग्यता होती है और निर्धारित दिन को हिताधिकारियों के खाते में राशि का जमा किया जाना सुनिश्चित हो जाता है।

प्र. ११. बैंकों को क्या फायदे होते हैं ?

उत्तर : ईसीएस कार्य करनेवाली शाखाओं को कागज पत्रों से मुक्ति मिलती है। कागजपत्रों से बैंकों पर तमाम तरह के दबाव आ जाते हैं क्योंकि उन्हें लिखतों को इन्कोड करना होता है, उन्हें समाशोधन में प्रस्तुत करना होता है, उनकी वापसी की निगरानी करनी होती है और संबंधित बैंक तथा ग्राहकों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करनी पडती है।

ईसीएस में बैंक केवल अपने ग्राहकों से संबंधित भुगतान के ब्योरे प्राप्त करते हैं। उन्हें केवल नाम, खाता संख्या जैसे खाते के ब्योरों का मिलान कर आगम जमा करने की जरूरत होती है।

ब्योरे का मिलान नहीं होने पर उसे प्रक्रिया के अनुसार उन्हें लौटाना होगा।

प्र. १२. ग्राहक भुगतान की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता है ?

उत्तर : बैंकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि ग्राहकों को दी गई पासबुक/विवरणों में ईसीएस प्रयोक्ता द्वारा दिए गए लेनदेन के ब्योरे हैं। ग्राहक भुगतान करनेवाली संस्था से प्राप्त एडवाइस से इन प्रविष्टियों का मिलान कर सकता है।

प्र. १३. क्या एकल लेनदेन की राशि की कोई सीमा है ?

उत्तर : योजना के अंतर्गत एकल लेनदेन की राशि की मूल्य सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

प्र. १४. प्रसंस्करण/सेवा प्रभार कितन लगत है ? क्या यह सेवा मंहगी है ?

उत्तर : भारिबैंक ने प्रायोजक बैंक द्वारा लिए जानेवाले सेवा प्रभारों को अब हटा दिया है। जहां तक समाशोधन गृह चलानेवाले भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों द्वारा लगाए गए प्रसंस्करण प्रभार का संबंध है, ३१ मार्च, २००९ तक इससे छूट दी गई है।

प्र. १५. क्या निवेशकों से अधिदेश प्राप्त करना कार्पोरेट/संस्थाओं के लिए आवश्यक है ?

उत्तर : हां। इस प्रयोजनार्थ एक मॉडल अधिदेश फार्म निर्धारित किया गया है। एक बार आधारभूत आंकडे.तैयार कर लेने के बाद बैंकों द्वारा भुगतान करना आसान हो जाता है। सेबी ने निवेशकों को भी दिशानिर्देश दिए हैं कि वे अपने शेयर आवेदन पत्रों पर अपनी खाता संख्या दें ताकि इसे उनके ब्याज/लाभांश वारंट पर मुद्रित किया जा सके। खाते के ब्योरे और अधिदेश इक्ट्ठा करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।

ईसीएस (नामे)

प्र. १६. ईसीएस (नामे) योजना क्या है ?

उत्तर : इस योजना के अंतर्गत किसी बैंक में खाता रखनेवाला कोई खातेदार अपने खाते में नामे डालकर किसी राशि की निर्धारित अंतराल पर वसूली हेतु ईसीएस प्रयोक्ता को प्राधिकृत कर सकता है। इस तरह नामे डालने हेतु ईसीएस प्रयोक्ता को एक प्राधिकार पत्र लेना होगा जिसे ईसीएस अधिदेश कहा जाता है। खाता रखनेवाली बैंक की शाखा द्वारा इन अधिदेशों पर परांकन किया जाएगा।

प्र. १७. यह योजना कैसे कार्य करती है ?

उत्तर : इस योजना में शामिल होने को इच्छुक ईसीएस प्रयोक्ता को किसी अनुमोदित समाशोधन गृह में पंजीकृत कराना होगा। अनुमोदित समाशोधन गृहों की सूची भारिबैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वह बैंक की अभिस्वीकृति से भाग लेनेवाले गंतव्य खातेदारों से अधिदेश फार्म भी ले सकता है। अधिदेश की एक प्रति अदकर्ता बैंक के पास उपलब्ध होनी चाहिए।

ईसीएस प्रयोक्ता को प्रायोजक बैंक के माध्यम से समाशोधन गृह को निर्दिष्ट फार्म में आंकडे. प्रस्तुत करने होंगे। समाशोधन गृह समाशोधन प्रणाली के माध्यम से गंतव्य खातेदार के खाते में नामे डालकर प्रायोजक बैंक के खाते में जमा करेगा ताकि इसे आगे ईसीएस प्रयोक्ता के खाते में जमा किया जा सके। प्रसंस्करण न की गई सभी नामे को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रायोजक बैंक को लौटा दिया जाएगा। बैंक समाशोधन प्रणाली के माध्यम से प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक अनुदेशों को मूर्त चेक के समान मानेंगे।

प्र. १८. अंतिम हिताधिकारी को क्या फायदे होते हैं ?

उत्तर : असुविधा रहित- ग्राहकों को वसूली केंद्रों/बैंकों में जाने की जरूरित नहीं होती और भुगतान करने के लिए लंबी पंक्ति में खडा नहीं होना पडता।

मन की शांति- ग्राहकों को भुगतान करने की अंतिम तारीखों को नहीं देखना पडता।

नामे पर ईसीएस प्रयोक्ताओं द्वारा निगरानी रखी जाएगी।

प्र. १९. यह योजना कार्पोरेट निकायों/संस्थाओं जैसे ईसीएस प्रयोक्ताओं को किस तरह फायदा पहंचाती है ?

उत्तर : ईसीएस चेकों की वसूली, उनकी उगाही और मिलान पर निगरानी रखने में प्रशासनिक तंत्र का समय बचाती है।

बेहतर नकदी प्रबंधन।

कपट होने के कारण कागजी लिखत तक कपटपूर्ण ढंग से पहुंच और नकदीकरण की संभावना नहीं होती।

कई बार भुगतान प्राप्त करने की जगह एक ही तारीख को भुगतान जारी किया जाना।

प्र. २०. बैंकों को क्या फायदे है ?

उत्तर : ईसीएस का कार्य करनेवाले बैंको को कागजी कार्य से मुक्ति मिलती है। कागजी कार्य करने से बैंकों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पडता है क्योंकि उन्हें लिखतों को इन्कोड करना पडता है, उन्हें समाशोधन में प्रस्तुत करना पडता है, उनकी विवर□णी पर निगरानी रखनी पडती है तथा संबंधित बैंक और ग्राहकों के साथ अनुवर्ती कर्रवाई करनी पडती है।

ईसीएस बैंकों को केवल अपने ग्राहकों से संबंधित अधिदेश के ब्योरे मिलते हैं। उन्हें केवल नाम, खाता संख्या जैसे खाते के ब्योरों का मिलान कर खातों में नामे लिखना होता है।

जब भी ब्योरों का मिलान नहीं होता, प्रक्रिया के अनुसार उन्हें उसे लौटा देना होता है।

प्र. २१. क्या एक बार दिए गए अधिदेश को वापस लिया जा सकता है या रोका जा सकता है ?

उत्तर: हां। दिया गया अधिदेश किसी ग्राहक द्वारा जारी चेक के समान होता है। इस योजना के अंतर्गत केवल इतनी शर्त है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि ईसीएस प्रयोक्ता नामे को शामिल न करें, ग्राहक द्वारा उन्हें पूर्व सूचना देनी होती है।

प्र. २२. क्या ग्राहक अधिदेश के लिए अधिकतम नामे, प्रयोजन या वैधता अवधि की शर्त

रख सकता है ?

उत्तर : हां। इन पक्षों को अंतिम रूपि देने की बात को ग्राहक और ईसीएस प्रयोक्ता पर छोड.दिया गया है। अधिदेश में अधिकतम सीमा दी हुई हो सकती है, इसमें प्रयोजन और वैधता अवधि का भी विनिर्देश हो सकता है।

प्र. २३. योजना का वर्तमान कवरेज क्या है ?

उत्तर : इस समय यह योजना भारिबैंक के १५ केंद्रों (अर्थात वैसे केंद्र जहां भा.रि.बैंक समाशोधन गृह कार्य का प्रबंध करता है) पर कार्य कर रही है तथा अन्य केंद्रों पर सरकारी क्षेत्र के बैंक समाशोधन कार्य का प्रबंध करते हैं। केंद्रों की सूची कार्य विधि दिशानिर्देश के अंतर्गत भारिबैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

प्र. २४. एकल लेनदेन पर प्रसंस्कर□ण प्रभार

उत्तर : भारिबैंक ने प्रायोजक बैंकों द्वारा लगाए जा सकनेवाले सेवा प्रभारों को हटा दिया है। भारिबैंक ने भारिबैंक तथा समाशोधन गृह का प्रबंध करनेवाले अन्य बैंकों द्वारा लगाए गए प्रसंस्कर□ण प्रभार में ३१ मार्च, २००९ तक छूट दे दी है।

प्र. २५. कौन-कौन सी संस्थाएं ईसीएस नामे योजना में भाग लेने की पात्र हैं ?

उत्तर : उपयोगी सेवा प्रदायक यथा, टेलीफोन कंपनियां, बिजली सप्लाई करनेवाली कंपनियां, बिजली बोर्ड, क्रेडिट कार्ड कलेक्शन, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋ□णों की किस्तों की वसूली और म्यूचुअल निधिओं की निवेश योजनाएं आदि।

ईसीएस केंद्रों की सूची

क्रमांक	केंद्र का नाम	क्रमांक	केंद्र का नाम
भारिबैंक द्वारा नियंत्रित *			
१.	अहमदाबाद	९.	जयपुर
२.	बेंगलूर	१०.	कानपुर
३.	भुवनेश्वर	११.	मुंबई
४.	कोलकाता	१२.	नागपुर
५.	चंडीगढ.	१३.	नई दिल्ली
६.	चेन्नै	१४.	पटना
७.	गुवाहाटी	१५.	तिरुवनंतपुरम
८.	हैदराबाद		

क्रमांक	केंद्र का नाम	क्रमांक	केंद्र का नाम

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नियंत्रित

१. बडौदा
२. देहरादून
३. नासिक
४. पणजी
५. सूरत
६. त्रिची
७. त्रिचूर
८. जोधपुर
९. ग्वालियर
१०. जबलपुर
११. रायपुर
१२. कालीकट
१३. सिलीगुडी (गैर -एमआईसीआर)
१४. पांडिचेरी
१५. हुबली
१६. शिमला (गैर एमआईसीआर)
१७. तिरुपुर
१८. वर्धमान (मुख्य)
१९. दुर्गापुर (गैर एमआईसीआर)
२०. शोलापुर
२१. रांची
२२. तिरुपति (गैर एमआईसीआर)
२३. धनबाद (गैर एमआईसीआर)
२४. नेल्लोर(गैर एमआईसीआर)
२५. काकीनाडा

पीएनबी द्वारा नियंत्रित

१. आगरा
२. इलाहाबाद
३. जालंधर
४. लखनऊ
५. लुधियाना
६. वाराणसी
७. कोल्हापुर
८. औरंगाबाद
९. मैसूर
१०. ईरोड
११. उदयपुर
१२. गोरखपुर
१३. जम्मू

स्टेट बैंक ऑफ इंदौर द्वारा नियंत्रित

१. इंदौर

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियंत्रित

१. पुणे ३. जमशेदपुर
२. सलेम

आंध्र बैंक द्वारा नियंत्रित

१. विशाखापत्तनम

कार्पोरेशन बैंक द्वारा नियंत्रित

१. मेंगलोर

बैंक ऑफ बडौदा द्वारा नियंत्रित

१. कोयम्बतूर २. राजकोट

स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर द्वारा नियंत्रित

१. कोची/एर्णाकुलम

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियंत्रित

१. भोपाल

केनरा बैंक द्वारा नियंत्रित

१. मदुरै

ओरियंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स द्वारा नियंत्रित

१. अमृतसर

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा नियंत्रित

१. हलदिया (गैर- एमआईसीआर)

स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद द्वारा नियंत्रित

१. विजयवाडा

स्टेट बैंक ऑफ़ बिकानेर एंड जयपुर द्वारा नियंत्रित

१. भीलवाडा